

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2017— चैत्र 10, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22/खाद्य/2016/29-1. — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा 16(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 की कण्डिका 8(क) में किए गए प्रावधानों के अनुपालन में राज्य शासन एतद् द्वारा छ.ग. राज्य खाद्य आयोग में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पदों पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनोंक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम एवं पता	पद
01	श्री ज्योतिनंद दुबे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्र. 09, दिपका जिला-कोरबा (छ.ग.)	अध्यक्ष
02	श्री अशोक चौधरी, ममता नगर, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्र. 19, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)	सदस्य
03	श्रीमती पार्वती ढीढी, बमलेश्वरी कॉलोनी, बोरसी, प्लॉट नं. 52/70 जिला-दुर्ग (छ.ग.)	सदस्य
04	श्रीमती विद्या जगत, रेल्वे फाटक, कांजी हाउस, सुरेन्द्र काम्प्लेक्स के पीछे, साँठी (सक्ती) तह.-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	सदस्य
05	श्री अशोक कुमार सोनवानी, ग्राम-भदवाही, पो.-खम्हरिया थाना-उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	सदस्य
06	श्री विक्रम दास मोहले, जनपद सराय भवन, पड़ाव चौक मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.)	सदस्य

यह आदेश छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनोंक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-22/खाद्य/2016/29-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 30th March 2017

NOTIFICATION

No. F 1-22/Food/2016/29-1.— In exercise of the powers conferred under section 16(1) of National Food Security Act , 2013 (No 20 of 2013) and in compliance to the provisions contained in the Rule 8 (a) of the C.G. Public Distribution System (Internal Grievance Redressal) Rules, 2016 , the State Government hereby appoints the following persons in the Chhattisgarh State Food Commission on the post described opposite to their names for a period of 5 (Five) years or on attaining the age of 65 years, whichever is earlier, from the date of their joining :

S No	Name and Address	Post
1	Shri Jyotinand Dubey, Pt. Deendayal Upadhyay Ward No 9, Dipka, Distt. Korba (C.G.)	Chairperson
2	Shri Ashok Chaudhari, Mamta Nagar Lal Bahadur Shastri Ward no 19, Distt. Rajnandgaon (C.G.)	Member
3	Shrimati Parvati Dhidhi, Bamleshwari Colony, Borsi Plot No 52/70 , Distt Durg (C.G.)	Member
4	Shrimati Vidya Jagat, Railway Phatak, , Kanji House, Surendra Complex ke Pichhe , Sonthi (Sakti) , Tahsil-Sakti, Distt.-Janjgir-Champa (C.G.)	Member
5	Shri Ashok Sonwani, Village –Bhadwahi, Post-Khamhariya , Thana –Udaypur , Distt –Surguja (C.G.)	Member
6	Shri Vikram Das Mohle , Janpad Sarai Bhawan, Padaav Chowk, Mungeli , Distt-Mungeli (C.G.)	Member

This order shall be in force from the date of its notification in the Gazette of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.